भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 826

उत्तर देने की तारीख : 24.07.2025

एमएसएमई क्लस्टर

826. सुश्री एस. जोतिमणि:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बड़े निगमों और सरकारी विभागों द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को भुगतान में विलंब के मुद्दे का समाधान करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) एमएसएमई के लिए बाजार सुलभ कराने और निर्यात के अवसरों में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या एमएसएमई क्लस्टरों के प्रदर्शन और रोजगार सृजन में उनकी भूमिका के बारे में कोई अद्यतन जानकारी उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आर्थिक व्यवधानों या वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला संबंधी चुनौतियों से प्रभावित एमएसएमई को क्या सहायता प्रदान की जा रही है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : भारत सरकार ने पूरे देश में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए समय से भुगतान सुनिश्चित करने हेतु कई उपाय किए हैं। एमएसएमई मंत्रालय ने वस्तुओं और सेवाओं के खरीददारों से एमएसई की बकाया देयताओं की निगरानी हेतु दिनांक 30.10.2017 को समाधान पोर्टल (https://samadhaan.msme.gov.in/MyMsme/MSEFC/MSEFC_Welcome.aspx) की शुरुआत की थी। मंत्रालय ने केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा एमएसएमई को बकाया देयताओं और मासिक भुगतान की सूचना प्रदान करने हेतु दिनांक 14.06.2020 को समाधान पोर्टल के भीतर एक विशेष उप-पोर्टल भी सृजित किया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 161 सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषदों (एमएसईएफसी) की स्थापना की गई है। कॉर्पोरेट और सीपीएसई के लिए व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (ट्रेड्स) पर शामिल होने के लिए मौद्रिक सीमा को दिनांक 07.11.2014 की अधिसूचना का.आ.4845(अ) द्वारा 250 करोड़ रुपए के टर्नओवर तक कम कर दिया गया है।

(ख) : एमएसएमई के लिए बाजार तक पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 (जिसे वर्ष 2018 में संशोधित किया गया था) अधिसूचित किया है, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई से 4 प्रतिशत की खरीद तथा महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से 3 प्रतिशत खरीद सहित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा एमएसई से वार्षिक खरीद का 25 प्रतिशत खरीदना अधिदेशित करती है। एमएसएमई संबंध पोर्टल के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में एमएसई से 93,911.23 करोड़ रुपए की खरीददारी की गई थी। खरीद और विपणन सहायता स्कीम व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों, वेंडर विकास कार्यक्रमों, आधुनिक पैकेजिंग तकनीकों को अपनाने, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शामिल होने आदि के माध्यम से बाजार तक पहुंच हेतु एमएसई को लाभ प्रदान करती है।

मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम के तहत केन्द्र/राज्य सरकारों के पात्र संगठनों और उद्योग संघों को विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों/क्रेता-विक्रेता बैठकों में एमएसएमई की सहभागिता के लिए प्रतिपूर्ति आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस स्कीम में 'प्रथम बार के निर्यातकों का क्षमता निर्माण' घटक को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, एमएसएमई के लिए निर्यात अवसरों को बढ़ाने हेतु एमएसएमई मंत्रालय ने अपने क्षेत्रीय संगठनों नामत: एमएसएमई-विकास कार्यालयों, एमएसएमई प्रौद्योगिकी केन्द्रों और एमएसएमई परीक्षण केन्द्रों में 65 निर्यात सुविधा केन्द्रों (ईएफसी) की स्थापना द्वारा एमएसएमई क्षेत्र में निर्यात संवर्धन हेतु समर्पित सहायता प्रणाली विकसित की है।

एमएसएमई के लिए निर्यात अवसरों के संवर्धन हेतु बजट घोषणा 2025-26 के माध्यम से एमएसएमई निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 20 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है।

(ग) : एमएसएमई मंत्रालय देश में सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) का कार्यान्वयन करता है। इसकी स्थापना से अब तक इस कार्यक्रम के तहत 229 सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) और 361 अवसंरचना विकास (आईडी) परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है तथा इसमें से 111 सीएफसी एवं 251 आईडी परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र की सरकारों से स्कीम के तहत प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तथा मौजूदा क्लस्टरों में सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) की स्थापना एवं नए/मौजूदा औद्योगिक सम्पदाओं/क्षेत्रों/फ्लेटेड फेक्ट्री परिसरों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए भारत सरकार के अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने आर्थिक व्यवधानों अथवा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला चुनौतियों से प्रभावित एमएसएमई को सुदृढ़ बनाने और सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। कुछ कदम निम्नानुसार हैं:-

i. पात्र एमएसएमई और व्यवसाय उद्यमों को उनके प्रचालन संबंधी देयताओं को पूरा करने तथा अपने व्यवसाय को पुन: शुरू करने में सहायता प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में 5 लाख करोड़ रुपए का आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। यह स्कीम दिनांक 31.03.2023 तक चालू थी। आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम पर दिनांक 23.01.2023 की भारतीय स्टेट बैंक की शोध रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 14.6 लाख एमएसएमई खातों को जो खातों का लगभग 98.3 प्रतिशत है, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के रूप में वर्गीकृत थे, को गैर-निष्पादन परिसंपत्ति (एनपीए) वर्गीकरण में जाने से बचाए गए थे।
ii. एमएसएमई मंत्रालय की सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत सदस्य ऋणप्रदाता संस्थानों द्वारा एमएसई को कोलेटरल प्रतिभूति अथवा तृतीय-पक्ष गारंटी के बिना प्रदान किए गए ऋण सुविधाओं हेतु सदस्य ऋणप्रदाता संस्थानों को गारंटी प्रदान करती है। जैसाकि केन्द्रीय बजट 2023-24 में घोषणा की गई थी, एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के कॉर्पस में 9,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कोष को समावेशित किया गया है जिससे ऋण की कम लागत पर 2.00 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त क्रेडिट को सुगम बनाया जा सके।
iii. आत्म निर्भर भारत कोष के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन।
iv. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋण का लाभ उठाने हेतु दिनांक 02.07.2021 को खुदरा एवं थोक व्यापारों को एमएसएमई के रूप में समावेशित किया गया है।
v. एमएसएमई की स्थिति में उर्ध्वगामी परिवर्तन के मामलों में 3 वर्ष के लिए गैर-कर लाभ प्रदान किया गया है।
vi. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण के तहत लाभ उठाने हेतु अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक दायरे में लाने के लिए दिनांक 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) की शुरुआत की गई है।
vii. 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं होगी।

एमएसएमई क्षेत्र को और अधिक सहायता प्रदान करने हेतु भारत सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए पारस्परिक क्रेडिट गारंटी स्कीम तथा बजट 2024 में विशेष उल्लेखित खाते (एसएमए) में एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम की घोषणा की थी। इसके अतिरिक्त, सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा को संशोधित किया है तथा बजट घोषणा 2025 के माध्यम से सीजीएस के तहत गारंटी कवरेज को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया है।

*****